अति तत्काल

सं.39011/12/2009-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सलाह प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा जारी विद्यमान अनुदेशों में यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों को तैयार कर शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न किया जाए । कभी-कभी, आरोपी अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों को रद्द कराने के लिए न्यायालय का रुख करते हैं और ऐसे अनेक मामलों में न्यायालय, समय-सीमा निर्धारित कर उसके भीतर कार्यवाहियों को पूरा करने का सरकार को निदेश देते हैं । कुछ मामलों में सरकार न्यायालय से और समय मांगती है और कुछ अन्य मामलों में, याचिकादाता न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाहियों पूरा न होने की वजह से अवमानना याचिकाएं दायर करते हैं । ऐसे अनेक मामलों में, अंतिम आदेशों को जारी किए जाने से पूर्व, विद्यमान विनियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है ।

2. सं.लो.से.आ. द्वारा इस विभाग का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि उपर्युक्त मामलों में, कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर शपथपत्र में यह बताया गया है कि मामला सं.लो.से.आ. के पास लम्बित है और कार्यवाहियों को पूरा करने में हो रही देर सं.लो.से.आ. से परामर्श प्राप्ति में देर के कारण थी यद्यपि ऐसे मामले आयोग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को लौटाए गए थे ताकि उसके द्वारा नोट की गई कमियों को दूर किया जा सके । इस संबंध में, इस विभाग के समसंख्यक का.ज्ञा. दिनांक 10.5.2010 और 14.9.2010 की ओर मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें यह दोहराया गया है कि मामले से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेखों को प्राप्त करने के पश्चात् आयोग को अपनी सलाह देने में सामान्यत: 3-4 माह का समय लगता है और यह कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि सं.लो.से.आ. को मामला अभिलेखों को भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र सावधानीपूर्वक और सतर्कता से भरा गया हो ताकि कमियों को दूर करने के लिए आयोग की किसी पिछले संदर्भ की आवश्यकता से बचा जा सके । यदि किसी मामले को संघ लोक सेवा आयोग ने कमियों को दूर करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को लौटाया हो तो उसे संघ लोक सेवा आयोग के कारण देर न माना जाए ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऐसे मामले जहाँ न्यायालयों को शपथपत्र के माध्यम से किसी अनुशासनिक कार्यवाही में लिए जाने वाले समय से अवगत कराया जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष मामले की लम्बित-अवधि के संबंध में सूचना को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए ।

(सी.ए.सुब्रामणियन)

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/राज्य सभा और लोक-सभा सचिवालय/सीवीसी/सीआईसी/सी एंड एजी/के.प्र.अ.(प्रधान खण्डपीठ) ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय में सभी अधिकारी/अनुभाग तथा मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सं.लो.से.आ., नई दिल्ली ।
4. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तीसरे ब्लॉक को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट में का.ज्ञा. को उद्यतन किए जाने हेतु ।